न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 18 / 122

1. सत्यनारायण आत्मज प्रभूलाल जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामसहाय आत्मज प्रभूलाल जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. धापू बाई आयु 65 वर्ष पुत्री जग्गा जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
2. हेमराज आयु 50 वर्ष आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
3. मनभर आयु 48 वर्ष पुत्री चतुर्भुज पत्नी लादू जी जाति धाकड निवासी जरखोदा ।
4. गुलाब आयु 46 वर्ष पुत्री चतुर्भुज मोती जाति धाकड निवासी बालापुरा ।
5. धन्नी आयु 46 वर्ष पुत्री चतुर्भुज पत्नी शंकर जाति धाकड निवासी बालापुरा ।
6. राजेश आयु 42 वर्ष पुत्री चतुर्भुज पत्नी बुद्धिप्रकाश जाति धाकड निवासी भीवगंज पंचायत खेलनिया तहसील उनियारा जिला टोंक ।
7. मूर्ति उर्फ राममूर्ति आयु 42 वर्ष पुत्री चतुर्भुज पत्नी भोलू जाति धाकड निवासी रतनपुरा पंचायत रानीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
8. कमलेश आयु 37 वर्ष आत्मज शोराज जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
9. राजू आयु 29 वर्ष आत्मज शोराज जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
10. मीरा बाई आयु 35 वर्ष आत्मज शोराज पत्नी मदनलाल जाति धाकड निवासी डोकून ।
11. मंजू आयु 32 वर्ष पुत्री शोराज पत्नी रामबिलास जाति धाकड निवासी अरनेठा ।
12. भूरी बाई आयु 60 वर्ष पत्नी स्व0 शोराज जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
13. सीताराम आयु 50 वर्ष आत्मज जगदीश जाति धाकड निवासी भवानीपुरा ।
14. दुर्गा बाई आयु 45 वर्ष पुत्री जगदीश पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी भवानीपुरा ।
15. धनराज आयु 45 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति धाकड निवासी कनवाडा ।
16. रामलाल आयु 43 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति धाकड निवासी करवाडा ।
17. बाबू लाल आयु 41 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति धाकड निवासी कनवाडा ।
18. विमल आयु 39 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति धाकड निवासी कनवाडा ।
19. मुकेश आयु 37 वर्ष आत्मज भंरलाल जाति धाकड निवासी कनवाडा ।
20. छोटू आयु 35 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति धाकड निवासी कनवाडा ।
21. प्रभू आयु 60 वर्ष आत्मज नारायण जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
22. गोमदा आयु 55 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
23. जगन्नाथी बाई आत्मज नारायण जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
24. कमला बाई पत्नी घांसी लाल जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
25. गीता बाई पत्नी प्रभूलाल जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
26. संतरा आयु 45 वर्ष पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
27. शोजी लाल आत्मज हरनाथ जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
28. गेन्दी लाल आयु 57 वर्ष आत्मज हरनाथ जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
29. बद्री लाल आत्मज हरनाथ जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
30. गोपाल आयु 50 वर्ष आत्मज हरनाथ जाति धाकड निवासी मानपुरा ।
31. प्रेमबाई आयु 48 वर्ष पुत्री हरनाथ पत्नी रुघनाथ जाति धाकड निवासी पाण्डुला पंचायत सुवानियां ।

32. गलरी उर्फ गन्दरा आयु 45 वर्ष पुत्री हरनाथ पत्नी किशन लाल जाति धाकड निवासी लालगंज पंचायत बम्बूली ।
33. काली आयु 42 वर्ष पुत्री हरनाथ पत्नी रामसहाय जाति धाकड निवासी बालापुरा पंचायत भजनेरी ।
34. लाड बाई आयु 40 वर्ष पुत्री हरनाथ पत्नी महावीर जाति धाकड निवासी पाण्डुला पंचायत सुवनियां ।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी ।
36. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी ।
37. सब रजिस्ट्रार महोदय, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 जून, 2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 धापूबाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल 02 किता की 01 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 213 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 342 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 367 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 368 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 370 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 371 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 386 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादिया के पिता जग्गा व उनके भाई हरनाथ आत्मज शंकर का हिस्सा 1/2 दर्ज है इसमें वादिया का हिस्सा 1/20 है किन्तु सहवन से वादिया के पिता जग्गा की मृत्यु के पश्चात् जग्गा के वारिसान का जो इंतकाल खोला गया तब वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया इसलिए इस भूमि में वादिया मृतक जग्गा की वारिस पुत्री होने से जन्म से हिस्सा मुताबिक खातेदार कृषक व उत्तराधिकारी है ।

3. अतः वादिया का वाद डिकी किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.217 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादिया को कमशः 1/5 हिस्सा, 1/20 हिस्सा व 1/10 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किये जाने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादिया रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 एंव 53 का वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा